प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणामों वाला यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों- अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल की गई आपत्तियाँ वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर आधारित थी।